आदेश का सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
16.08.2019		

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-45/2018

1. रंजना कुमारी, पति-अरूण कुमार मण्डल, सा0-गोरियारी, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. जिला प्राग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, धमदाहा।
3. मसो0 रेखा कुमारी, पति-स्व0 प्रभाष मण्डल, सा0-गोरियारी, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-294/जि0प्रो0, दिनांक-24.02.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड सं0-01, पंचायत-बसंतपुर, परियोजना-रूपौली** के **सहायिका** पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु दिनांक 15.09.17 को आम सभा आयोजित की गई जिसमें मार्गदर्शिका 2016 के तहत् विधिवत तरीके से अपीलार्थी का चयन किया गया। बाद में विपक्षी सं0-03 के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आवेदन दिये जाने पर अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि विपक्षी सं0-03 के द्वारा सहायिका पद हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया था। इस प्रकार बिना आवेदन दिए ही विपक्षी सं0-03 का चयन कर लिया गया। निम्न न्यायालय में इन तथ्यों को रखा गया था, परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी के तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। निम्न न्यायालय का आदेश तथ्य से परे है, जिसे अस्वीकृत करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

इस वाद में विपक्षी सं0-03 को निबंधित डाक द्वारा दिनांक

26.02.2019 को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 812/जि0प्रो0 दिनांक 13.06.18** द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन का अवलोकन किया, जिससे मुख्य रूप से प्रतिवेदित है कि विपक्षी सं0-03 को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह कर उनके आवेदन को पथभ्रष्ट कर दिया गया। विधवा होने के आधार पर विपक्षी सं0-03 का चयन किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विपक्षी सं0-03 के द्वारा सहायिका पद हेतु विधिवत आवेदन देने का तथ्य स्पष्ट नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने आदेश एवं मंतव्य प्रतिवेदन में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि वास्तव में विपक्षी सं0-03 के द्वारा आवेदन दिया गया था। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अतः **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 294/जि0प्रो0 दिनांक 24.02.2018** में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।